पत्र संख्या-बी-1-5-बजट/ 2018-2019 / 1602 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(बजट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 15 ,मार्च, 2019

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय -:अनुदान संख्या-090-मनोरंजनकर के अवशेष बजट के समायोजन/समर्पण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि :-

1- **अनुदानसंख्या-090** के अन्तर्गत आने वाले मनोरंजन कर विभाग का संविलीनीकरण(Merger) वाणिज्य कर विभाग में दिनॉक 24/04/2018 को किया गया था। मार्च-2018 का वेतन मनोरंजन कर विभाग के पूर्व डी0डी0ओ0 **(कोड संख्या-4755 या 4756 या 4757)** द्वारा आहरित किया गया था।

2- अप्रैल-2018 से अनुदान संख्या-090 के अन्तर्गत आवंटित बजट का आहरण/वितरण वाणिज्य कर विभाग के डी0डी0ओ0**(कोड संख्या-4752 या 4753)** द्वारा किया जा रहा है।

3- **बजट समर्पण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि :-**

(i) क्या आप द्वारा दर्शाये जा रहे कुल खर्च / व्यय की गयी धनराशि में मनोरंजन कर विभाग के डी0डी0ओ0द्वारा मार्च-18 में आहरित वेतन का व्यय भी सम्मिलित कर लिया गया है अथवा नहीं, यदि नहीं तो उसे भी सम्मिलित कर लें ।

(ii) अपने कोषागार से मार्च-18 का मनोरंजनकर का खर्च/व्यय(**कोड-4755 या 4756 या4757**),को वाणिज्य कर के डी0डी0ओ0कोड-**4752 अथवा 4753** पर Transfer तत्काल करा लें। इसे कोषागार में Interchange कहा जाता है। **(जनपद बरेली में यह कार्य पूर्ण कराया जा चुका है)**

(iii) Interchange के पश्चात् यदि व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो तो उक्त के समायोजन हेतु तत्काल मोबाइल से सूचित कर, लिखित में भी बजट मॉग कर लें। **किसी भी स्थिति में कुल व्यय, कुल आवंटित बजट से अधिक न होने पाये।**

(iv) तत्पश्चात् मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या-1572 दिनॉक 12/03/2019 के साथ संलग्न **प्रारूप-7** पर प्रेषित किये जाने वाले समर्पण में इस आशय का प्रमाणपत्र दें कि **''मनोरंजन कर विभाग के डी0डी0ओ0द्वारा आहरित मार्च-18 के वेतन को जोड़ते हुये समर्पण की कार्यवाही की जा रही है''।**

4- उल्लेखनीय है कि पूर्व में आप द्वारा मनोरंजन कर से सम्बन्धित जो भी समर्पण आज की तिथि तक मुख्यालय को प्रेषित किये गये हैं उसे अस्वीकार करते हुये Taken Back नहीं लिया गया है। अतएव उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर समर्पण प्रेषित करें। **उक्त निर्देशों का पालन / कार्यवाही अपूर्ण होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।**

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य, कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक:उपरोक्त।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- कमिश्नर(कैम्प कार्यालय), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

3- सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने स्तर से अपने नियन्त्रणाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारी को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

4- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त **Interchange/समायोजन चालू वित्तीय वर्ष में ही प्राथमिकता से कराने का कष्ट करें जिससे उक्त अनुदान में ऋणात्मक व्यय की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।**

एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य, कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।